Rajasthan Telecom Circle
Admn. Cell, O/o Chief General Manager Telecom
Sardar Patel Marg, C-Scheme, Jaipur-302008
Fax No. 0141-2379900 Telep. No. 0141-2379236

भारत संचार निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED
(A Govt. of India Enterprise)

सेवामें,

सभी एसएसए प्रमुख,
राजस्थान परिमण्ड़ल।

क्र.सं. एसटीए/14–4/एन.ओ.सी./विदेश यात्रा/2017/54 दिनांक 5.01.2018.

विषयः– विदेश जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेने हेतु मामले।

उपरोक्त विषय में लेख हैं कि विदेश जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेने के लिये ग्रुप सी एवं डी **(Non executive)** के जो मामले एसएसए से प्राप्त होते है, उनमें अधिकाशः मामले अपूर्ण होने के कारण एसएसए से अनावश्यक पत्राचार करना पडता है। अपूर्ण मामले में प्रायः निम्नलिखित कमियॉ पायी जाती है।

1. अधिकतर मामले एसएसए प्रमुख द्वारा अनुशंसित नही होते है।
2. कर्मचारी की जो सतर्कता रिपोर्ट भेजी जाती है उसमें कॉलम संख्या (14) में **VC may be granted** लिखा होता है जबकि **VC status(granted/with held)** लिखा होना चाहिए।

इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि कर्मचारी की विदेश यात्रा की तिथि शुरू होने से कम से कम 15 दिन पहले पूर्ण मामले इस कार्यालय को प्राप्त हो जाने चाहिये, जिससे इस कार्यालय द्वारा समय पर एन.ओ.सी जारी की जा सके, अन्यथा विदेश जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नही होने के संबंध में एसएसए की जिम्मेदारी होगी।

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी किया गया है।

5/1/18
(के. के. जैन)
सहायक महाप्रबन्धक(प्रशासन)